>

Title: Need to make the existing postal ballot system more transparent and effective.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): आदरणीया महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान पोस्टल बैलेट व्यवस्था की विसंगतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस व्यवस्था के अंतर्गत 14 दिन का जो प्रावधान रिप्रेजंटेशन ऑफ पीपल्स (आर.पी.) एक्ट के तहत रिटर्निंग आफिसर्स को आर्मी पर्सनल को बॉडर एरिया तक पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट करना एवं सर्विस पर्सनल द्वारा वोट कास्ट करके वापिस आर.ओ. को भेजा जाता है, वह बहुत ही कम समय है, जिसमें यह प्रक्रिया किसी भी हालत में पूर्ण नहीं की जा सकती।

पोस्टल बैलेट प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल नहीं है जैसा कि सिविलियन व्यवस्था में है। जैसे वहां पर न कोई इलेक्शन कमीशन आब्जर्वर है न ही कोई विडियोग्राफी का प्रोविजन है न ही उम्मीदवार का कोई एजेंट है, जिससे यह व्यवस्था पूर्णतया अप्रभावी एवं विसंगतिपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि या तो पोस्टल बैलेट जवान के पास पहुंचता ही नहीं और जो पहुंच के वापिस आते हैं उनमें से 50 प्रतिशत वोट्स तकनीकी आधार पर आर.ओ. द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं।

महोदया, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि विसंगतियों युक्त पोस्टल बैलेट व्यवस्था, जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, में आवश्यक संशोधन कर सुधार लाया जाये जिससे इसे पारदर्शी बनाया जा सके।